७२

फर्द अहकाम

बेवीदार बनाम राजस्थान सरकार

...यालय

...ख्या 35/2020 प्रा. पत्र पत्थरगढ़ी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/9/21	व. प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी विपक्ष पेश हुआ और शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते तामील पेश हो हेतु दिनांक 20/9/21 को पेश हो	
20/9/21	...साइ ... आर्फीसर दौर/अवकाश ... अग्रिम कार्यवाही हेतु ...क 15/11/21 को पेश हो	
15/11/21	...साइ ... आर्फीसर दौर/अवकाश ... अग्रिम कार्यवाही हेतु ...नांक 30/12/21 को पेश हो	
30/12/21	...साइ ... आर्फीसर दौर/अवकाश ... अग्रिम कार्यवाही हेतु ...क 3/2/22 को पेश हो	पत्रावली पेश
3/2/22	...साइ ... आर्फीसर दौर/अवकाश ... अग्रिम कार्यवाही हेतु ...नांक 1/4/22 को पेश हो	
1/4/22	...साइ ... आर्फीसर दौर/अवकाश ... अग्रिम कार्यवाही हेतु ...नांक 19/5/22 को पेश हो	
19/5/22	व. प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा आवेदन सूचना तामील का आवेदन की अवहेलना किया। जो हाजिर नहीं है विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी को बहस सुनी गई	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद अहकाम

बंशीधर बनाम राजस्थान सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या 35/2020 प्रा. पत्र बाबा पत्थरगढ़ी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का प्रार्थना-पत्र बाबा पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से करके दाखिल दफ्तर हो।
		8.8.22
		उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर

न्यायालय

. 35 /

श्री

ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

न. 35/2020

उनवान

1. श्री बंशीधर पुत्र मुरली जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

--प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर ।
2. छोटूराम पुत्र सुखदेव
3. काना पुत्र छोटूराम
4. प्रभूदयाल पुत्र भागीरथमल
5. बनवारी पुत्र गोपी
6. बंशीधर पुत्र मुरली
7. बाबुलाल पुत्र गोपी
8. रूघनाथ पुत्र छोटू
9. सुरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र मानसिंह
10. सुवालाल पुत्र छोटूराम
11. प्रभूदयाल पुत्र छोटूराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–19.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू.अभि.नि. क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 661/2 रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम से है जो अकेला खातेदार काश्तकार है। दिनांक 30.11.2019 को श्रीमान् तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक /भू0अ0/ 2019/4673 दिनांक 21.10.2019 की पालना मे ग्राम लोहरवाडा के खसरा नम्बर 661/2 का सीमाज्ञान करवाया गया था। मौके पर प्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम ग्राम खसरा नम्बर 659, 657, 699 से जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया गया। खसरा [illegible]2 के सभी कोनो के निशानात बताये गये। उपस्थित पडौ[illegible]न रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी ख[illegible] की भूमि की पत्[illegible] करवाना चाहता है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अ[illegible] हुआ।

उक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का [प्रार्थ]ना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात् की पत्थरगढी के आदेश फरमानें की [कृ]पा करें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 30.10.2019 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन/विवाद नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 30.10.2019 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **19.05.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:56 IST
Reason: SelfAttested